संख्याः 10/155/21--उर्दू-1-2014(373/2013)

प्रेषक

शैलेश कृष्ण

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

विभूति खण्ड गोमती नगर

लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 03 दिसम्बर 2014

विषयः वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों की भाँति उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-उ0अ0 7331/2011 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 उर्दू अकादमी के समस्त श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था निम्नवत लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से प्रकल्पित आधार पर प्रभावी होगी तथा उसका वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा।

(2) ए.सी.पी. के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष 16 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः-

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि जो भी पहले हो से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि जो भी पहले हो से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(II) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(III) ए.सी.पी. की व्यवस्था लागू होने के पश्चात सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए.सी.पी. की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(IV) प्रदेश सरकार के अन्य समान प्रकृति/प्रास्थिति की स्वायतशासी संस्थाओं में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा परन्तु ऐसे मामलों में ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु उ0प्र0 उर्दू अकादमी के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त राजकीय विभागों, निकायों, निगमों एंव केन्द्र सरकार में की गयी सेवाओं को उक्त के प्रयोजनार्थ गणना में नहीं लिया जाएगा।

(V) ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला गेड वेतन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-58(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के संलग्नक-2-अ- पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है । ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

<u>परन्तु</u>

ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन 1900/- के उपरांत उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000/- को इग्नोर किया जायेगा फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900/- का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400/- माना जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम श्रेणी अथवा प्रास्थति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(5) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में समान्य प्रोन्नति की व्यवस्था में शासित होती है। अतः ऐसे मामले उ0प्र0 उर्दू अकादमी में लागू सेवा नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(6) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतया वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(7) यदि कोई कर्मचारी किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने से पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कर्मचारी को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नियमित पदोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा तथापि ऐसे कर्मचारी को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वे प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जायें। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) ऐसे कर्मचारी जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(9) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिक को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन/ग्रेड वेतन जो भी लाभप्रद हो को चुनने का विकल्प होगा।

2- वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण प्रमुख सचिव वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62 (एम) / 2008 दि0 04 मई 2010 के संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेडवेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

3- (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु उ0प्र0 उर्दू अकादमी में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी में प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह

http://shasanadesh.up.nic.in

दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियां बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी /वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

4- ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के संदर्भ में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59 एम/2008 दि0 08 दिसम्बर 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-1232/दस-2014 दिनाँक 28-11-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 10/155(1)/21-उर्दू-1-2014 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 (02- प्रतियों में)
(6) गार्ड फाईल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से

(बृजेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in